राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: rajssa.training@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलंशिप / जय / सीसीई / उपचारात्मक शिक्षण / 2020–21 / 16176 दिनांक : 26/10/2020

"आओ घर में सीखें" विद्यार्थियों द्वारा कार्यपुस्तिकाओं को घर पर उपयोग में लिए जाने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश : सत्र 2020–21

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020–21 में विद्यार्थियों हेतु कक्षा से न्यून स्तर एवं कक्षानुसार कार्यपुस्तिकाओं के निर्माण बाबत अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तद्नुसार RSCERT, उदयपुर से कार्यपुस्तिकाए तैयार कराकर विद्यार्थियों के उपयोग हेतु प्रेषित की जा रही है। उक्त कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग कक्षा स्तर से न्यून स्तर, कक्षा स्तर के विद्यार्थियों को अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उपयोग किया जाना है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ शिक्षक शिक्षार्थियों के मध्य कक्षा–कक्षीय गतिविधियां संचालित नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहे एवं उनका अधिगम स्तर अपने कक्षा स्तर के अनुरूप हो। इसके लिए कार्यपुस्तिकाओं का वितरण किया गया है।

उक्त कार्यपुस्तिकाओं का उद्देश्य विद्यांर्थियों के अधिगम स्तर में होने वाली क्षति को रोकना है तथा अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराना है।

ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही कार्यपुस्तिकाओं का वितरण पीईईओ/ सीआरसी के माध्यम से विद्यालय स्तर तक किया जा रहा है। कार्यपुस्तिकाओं के घर पर उपयोग हेतु निम्न निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें –

- न्यून ग्रेड वर्क बुक बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन कर चिन्हित बच्चों को स्तरानुसार (सीख, साथी, समर्थ) उपलब्ध कराई जाए।
- कक्षा स्तर की वर्कबुक पुस्तिकाए नामांकित सभी विद्यार्थियों तक वितरित करना। गणित कक्षा 3, 4 की पुस्तिकाए 26 अक्टूबर तक शत प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- विद्यालय के कार्यरत विषयाध्यापकों द्वारा नियमित रूप से बच्चों को कार्यपुस्तिकाओं में कार्य आवंटित किया जाए।
- विषयाध्यापक अपनी कक्षा के 5–5 अभिभावकों से प्रतिदिन फोन पर संवाद करते हुए किए जा रहे कार्य की समीक्षा करें।
- फोन कॉल के माध्यम से अभिभावकों से Work Book के बेहत्तर उपयोग के तरीके साझा किए जाए तथा विषय वस्तु की समझ पर चर्चा करें तथा बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्य को विषय अध्यापकों के साथ साझा करने हेतु प्रोत्साहित करें।
- बच्चों को आने वाली कठिनाईयो को फोन कॉल अभिभावक/विद्यार्थी संवाद के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाए।
- संस्था प्रधान द्वारा प्रतिदिन बारी–2 से एक–2 कक्षा के अभिभावक, विषय अध्यापक की बैठक आयोजित की जावे। बैठक में विषय अध्यापक अभिभावकों को घर पर विद्यार्थियों को प्रतिदिन पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रेरित करें। विषय अध्यापक अभिभावकों से समय सारणी भी साझा करे जो कार्यपुस्तिकाओं के उपयोग बाबत प्रदान की गई है।
- जिन विद्यार्थियों के बड़े भाई बहन उस विद्यालय में पढ़ते है उनको भी विषय अध्यापक द्वारा बुलाया जावे एवं उन्हें कार्यपुस्तिकाओं के उपयोग कराने हेतु प्रेरित करें तथा उनकी कठिनाईयों का निराकरण करें।
- प्रत्येक विषय अध्यापक हेतु एक प्रपत्र विकसित किया गया है जिसे प्रतिदिन उसे भरना होगा एवं विषय अध्यापक सारथी के साथ साझा करना होगा।

www.rajsevak.com

विषय अध्यापक का नाम	दिनांक	अभिभावक का नाम जिससे संपर्क किया गया	संबंधित विद्यार्थी का नाम	कक्षा	कक्षा स्तर (यदि न्यून स्तर कार्यपुस्तिका है)	व्यक्तिगत संपर्क सूत्र/दूरभाष नं. पर)	चर्चा के बिन्दु	Remarks

- नियमित रूप से आयोजित की जा रही SDMC/SMC's की मीटिंग में कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की इस नवाचारी पहल के बारे में सदस्यों को बताया जावे। वे भी विद्यार्थियों को इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।
- विद्यार्थी विषय अध्यापक वाट्स एप समूह (WhatsApp Group) के माध्यम से विषय अध्यापक द्वारा विद्यार्थीवार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जावे।
- PEEO/CRC अपने अधीन विद्यालयों की नियमित रूप से क्रमवार समीक्षा करें एवं जिन विद्यालयों में कार्यपुस्तिका का दिशा–निर्देशों के अनुरूप वितरण व उपयोग हेतु प्रभावी मॉनीटरिंग करें। कार्य के प्रति उदासीनता दर्शाने वाले कार्मिकों/संस्था प्रधानों की सूची उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए।